

Ref: _____

Date : 26/09/2018

SPECIAL OPINION SEARCH REPORT

I have examined the title deeds, Khatuni, Jamabandi and other Important Documents (Khasra) of land records letting to the survey (khasra) no. 1244/3 (Measuring 12 Bigha 04 Biswa), situated at Village Bhurtiya, Patwar Halka Harbhanwta, Tehsil Newai, Dist. Tonk is owned by Sunil Maheshwari S/o Shri Brij Mohan Maheshwari and is in possession of Sunil Maheshwari. The name of said owner is recorded in the village Bhurtiya revenue records and the title is free, marketable & free from any encumbrance.

As per revenue record the Actual Khasra No. 1244 (Measuring 25 Bigha 02 Biswa), situated at Village Bhurtiya, Patwar Halka Harbhanwta, Tehsil Newai, Dist. Tonk was updated of Khaedar Neelkant, Ravikant, Shashikant, Vishnukant S/o Radha Gopal and Niranjana, Rekha, Surekha, Kamini D/o Radha Gopal.

After that Sunil Maheshwari had purchased the above land measuring 12 Bigha 04 Biswa through various registered sale deed from Khatedar Ravikant, Neelkant, Vishnukant and Shashikant, whose sale deed was duly registered in the office of Sub Registrar Duttwas.

There after Sunil Maheshwari, Shashikant, Niranjana, Rekha, Surekha, and Kamini had applied for partition of above land under section 53 of Rajasthan Kashkari Adhiniyam, 1955 in Public Court Camp then after doing all formalities the public court had divided the above land which were known as Khasra No. 1244/1 measuring 12 Bigha 11 Biswa ownership Niranjana, Rekha, Surekha, Kamini, Khasra No. 1244/2 measuring 07 Biswa ownership Shashikant and Khasra No. 1244/3 measuring 12 Bigha 04 Biswa ownership Sunil Maheshwari.

After that Sunil Maheshwari had execute a power of attorney of the above land in faovur of Sanjeevani Affordable Homes Private Limited, whose power of attorney has been duly registered in the office of Sub-Registrar Duttwas on Book no. 4, Vol. no. 1, Page no. 28 at Serial no. 28 on dated 02.03.2017.

There after as per direction of Sunil Maheshwari, Sanjeevani Affordable Homes Private Limited had applied for conversion of above agriculture land to nonagricultural residential land in revenue department, Newai then revenue department done all formalities under the law and sanction the said layout plan of residential colony Sanjeevkani Shagun situated at Village Bhurtiya, Patwar Halka Harbhanwta, Tehsil Newai, Distt. Tonk issued by Senior Town Planner, Zone Ajmer on dated 14.02.2018.

I have also conlusce the search on land in the registration records regarding above said land for last 03 years, it heroby certify that the aforesaid land is free from all encumbrance whatsoever.

Issued by the under signed to day 26.09.2018 at Jaipur.


Signature
Kunal Jaiman
(Advocate)



राजस्थान RAJASTHAN

उपकोष कार्यालय

30 AUG 2016

निवाइ (राजस्थान)



मुख्त्यारनामा आम

मैं सुनील माहेश्वरी पुत्र बृजमोहन माहेश्वरी जाति महाजन उम्र 42 वर्ष निवासी फ्लेट नं. 301, महिमा आईरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान का हूँ :-

जो कि मेरे स्वयं की सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि की आराजी निम्न प्रकार से वाके ग्राम भुरटिया पटवार हल्का भुरटिया तह0 निवाइ जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

खसरा नं.
1244/3

रकबा
12-04

किस्म
बारानी 3

कुल किता 01 कुल रकबा 12-04 बीघा (बारह बीघा चार बिस्वा) भूमि में सम्पूर्ण हिस्सा मेरे स्वयं के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त मेरे हिस्से की सम्पूर्ण भूमि कही रहन, बय आदि नहीं हैं।

..... 2

[Signature]

[Signature]
उप पजीयक
(निवाइ)

[Signature]

क. 563 दि. 05/10/2016

नाम सुनील मोहेश्वरी

पिता का नाम राजेश मोहेश्वरी

जाति महाजन निवासी न्यू सागुन रोड जयपुर

संख्या 01 राशि 500/-

मार्फत लवकुश वास्ते मुख्यालय नामा- दाम

स्टाम्प विक्रेता राधानारायण राव

22/11/2016

VK4SH



2.

उक्त वर्णित मेरे हिस्से की सम्पूर्ण भूमि में मेरे अलावा अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नहीं हैं। मुझे मेरे हिस्से की उक्त सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने, रहन रखने के सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हैं।

मैं मेरे अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैं अपनी उक्त वर्णित सम्पूर्ण हिस्से की भूमि में से 1/4 हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में मेरे विश्वासी मै० संजीवनी अफोर्डेबल होम्स प्रा० लि० रजिस्टर्ड कार्यालय पिंजरापोल गोशाला के सामने, टोंक रोड़ सांगानेर जयपुर राजस्थान जरिये निदेशक श्री राजीव टाक पुत्र श्री भागचन्द जाति टाक उम्र 41 वर्ष निवासी 131, आसिंद नगर सांगानेर तह० सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान को अपना मुख्तयार-आम (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) निम्न कार्य के लिये नियुक्त करता हूँ और लिख देता हूँ कि उक्त मुख्तयारआम मेरी ओर से न्यायालय एस०डी०ओ०, तहसीलदार, निवाई नायब तहसीलदार, दत्तवास सिविल न्यायालय, ए०सी०जे०एम० न्यायालय, सैशन न्यायालय अपीलेंट न्यायालय, राजस्व मण्डल, हाईकोर्ट तथा सब-रजिस्टार, दत्तवास (निवाई) आदि सभी न्यायालयों, सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी महकमों में उक्त मेरे 1/4 हिस्से की भूमि से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही में मेरी ओर से उपस्थित होकर अधिवक्ता नियुक्त करे, मेरी ओर से वकालतनामे पर हस्ताक्षर करे, प्रार्थना पत्र, वाद-पत्र, जवाबदावा, अपील, निगरानी, याचिका, राजीनामा, शपथ-पत्र आदि पर मेरी ओर से अपने हस्ताक्षर मुख्तयारआम मै० संजीवनी अफोर्डेबल होम्स प्रा० लि० रजिस्टर्ड कार्यालय पिंजरापोल गोशाला के सामने, टोंक रोड़ सांगानेर जयपुर राजस्थान जरिये निदेशक श्री राजीव टाक पुत्र श्री भागचन्द जाति टाक उम्र 41 वर्ष निवासी 131, आसिंद नगर सांगानेर तह० सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान करे, सबूत दस्तावेज पेश करे उक्त मेरे 1/4 हिस्से की भूमि को

.....3

[Signature]

[Signature]
उप पञ्जीयक
दस्तावेज (निवाई)

[Signature]

आज दिनांक 7/10/16 को बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री..... हृदील

पुत्र/पत्नि/पुत्री छजमोहन

जाति गोसावत पेशा व्यवसाय

निवासी P-301, भादका आर्मी अपार्टमेंट नं. 11 भागे रोड जयपुर

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत

किया

Pratap Singh

Self

होस्त कर्ता

होउप पंजीयक दस्तावेज

रजिस्ट्रार स. 65/1427 दिनांक 7/10/16

पंजीयन शुल्क रु० 6900

रिलीफ शुल्क रु० 300

पंजीयन शुल्क रु० —

शुल्क रु० 2766

सी स्टाम्प शुल्क रु० 13300

कुल योग रु० 23260

उप पंजीयक दस्तावेज



3.

एकमुश्त अथवा टुकड़ों में विक्रय कर विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर क्रेता को मौके पर कब्जा संभलावें तथा विक्रय पत्र आदि में मेरी और से अपने दस्तखत करके पंजीयन हेतु संबंधित उप-पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होकर पेश करें, पंजीकृत करावें, बयान देवे, तस्दीक करें, स्वयं के नाम रजिस्ट्री करवावे, इससे संबंधित अन्य आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण करें, अपने स्वयं के नाम रजिस्ट्री करावें। सारांश यह है कि मेरी 1/4 हिस्से की कृषि आराजी संबंधी अन्य जो भी कार्यवाहियां, पैरवी व जवाबदेही लिखित व मौखिक मेरे स्वयं के करने की या मेरी और से करने की हो वो सब मेरी ओर से उक्त मुख्तार आम मै० संजीवनी अफोर्डेबल होम्स प्रा० लि० रजिस्टर्ड कार्यालय पिंजरापोल गोशाला के सामने, टोंक रोड़ सांगानेर जयपुर राजस्थान जरिये निदेशक श्री राजीव टोंक पुत्र श्री भागचन्द जाति उम्र 41 वर्ष निवासी 131, आसिंद नगर सांगानेर तह० सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान को अपने दस्तखती/हस्ताक्षर से करने के पूर्ण अधिकार होंगे और मुख्तारआम द्वारा मेरी ओर से की हुई समस्त लिखित व मौखिक कार्यवाहियाँ व किये हुये कार्य मुझे मेरे द्वारा किये हुये के समान पूर्णतया स्वीकार व अंगीकार होंगे तथा मेरे द्वारा किये हुये समझे जावेगें तथा उक्त मुख्तारनामा आम खण्डनीय हैं।

उक्त वर्णित भूमि ग्राम भुरटिया की आबादी व एन. एच. 11 ए व सड़क से एक किलोमीटर से अधिक दूर स्थित हैं तथा मौके पर कोई आबादी व निर्माण नहीं हैं। विक्रय की गयी भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता मौजूद हैं।

उक्त वर्णित भूमि में मेरे 1/4 हिस्से की कृषि भूमि का कब्जा मुख्तार आम को नहीं संभलाया गया है। उक्त मुख्तारनामा आम निरस्तनीय हैं।

.....3

[Signature]

[Signature]
उप पंजीयक
दत्तवास(निवाइ)

[Signature]

gung/Phulwari

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
सुनील मोहनजी कुंजमोहनमोहनजी

उम्र ... 42 ... जाति. कछवाहा पेशा. व्यवसाय

निवासी. P. 301 भाई कादीब अर्थात् न्यू पार्क रोड जयपुर

(And Claimant) मेरे लक्ष्मी कुंजमोहनमोहनजी दोस्त पाली रासिदा काका

जो जाल के धर्मन दोस्त काका जीपे निजाम राजीव यम कुं

उम्र ... 41 ... जाति. शाक पेशा. व्यवसाय गा. चन्दका

निवासी. विजयपुर 131 कासीदेवगार सांगोरी जयपुर

मे लेख पत्र को पढ़ सुन कर निष्पादन

करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि. ... में/रु. समक्ष

रूपये.

पूर्व में.

या मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादनकर्ता को पहचान.

Signature

शामसिंह

जिसका नाम. शामसिंह

पुत्र श्री. सुन्दरीराम

उम्र ... 38 ... जाति. भीणा पेशा. कृषि

निवासी. बामनवास ने की है।

श्री/श्रीमती/सुश्री. लखतुश जमीन

पुत्र/पुत्री श्री. ठागवान सहाय

उम्र ... 25 ... जाति. खाली पेशा. कृषि

निवासी. जयसरी तह. योगाभीन ने की है।

जिनके समस्त हस्ताक्षर य. गा. निवास पर समक्ष

लिये गये हैं।

Signature

8/4/84

उक्त पंजीयक देववास



4.

अतः यह मुख्त्यारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) आज राजी-खूशी, होश-हवास की दुरुस्ती में कागज स्टाम्प कीमत 500/-रुपय किता एक व तीन किता सादा पाईप पेपर पर लिखवा दिया हैं ताकि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।

दिनांक :-07.10.2016 द्रापटेड बाई :- राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट, निवाई

Rakesh Kumar Sharma
Advocate Newal
Mob. No. 9926326161, 9875057262

[Signature]
हस्ताक्षर मुख्त्यारआमकर्ता के

मुझे मुख्त्यार नामा आम स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर मुख्त्यार आम के

साक्षी (1) रामसिंह पुत्र श्री धुन्धीराम
जाति मीणा उम्र 38 वर्ष निवासी बामनवास
तह0 बामनवास जिला सवाई माधोपुर राज0

रामसिंह



रामसिंह

साक्षी (2) लवकुश जांगिड़ पुत्र श्री भगवान सहाय
जाति खाती उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम जयसनी
तह0 टोड़ाभीम जिला करौली राज0

PKMS

[Signature]
उप पंजीयक
दत्तवास(निवाई)



Santosh Digital Studio Chaksu220616

PK



धारा 54 के तहत पंजीयन प्रमाणित किया जाता है कि इस क्रय पत्र की मालियत रूपये 687800 भानसे हुये इस पर देय कमी मुद्राक राशि 13800 रूपये पर कमी पंजीयन शुल्क 6900 का कुल 23260 जरिये रसीद सं० 65/1427 7/10/16 से जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू० 13800 क मुद्राक पर निष्पादित माना जाता है।

उप पंजीयक दस्तबाज

आज दिनांक 7/10/16 को पुस्तक सं० 4 जिल्द सं० 1 ने पृष्ठ सं० 25 क्रम सं० 25 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं० 4 जिल्द सं० 1 के पृष्ठ सं० 98 से 101 पर चर्या किया गया।

उप पंजीयक दस्तबाज



॥श्री॥

मुख्तयारनामा आम

मैं सुनील माहेश्वरी पुत्र श्री बृज मोहन माहेश्वरी आयु 42 वर्ष, जाति महाजन, निवासी फ्लेट नंबर 301, महिमा आईरिस-II, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर राजस्थान प्रान्त, का हूँ।

Director, P. & L. Ltd.

Director

निरंतर.....2....

संयोजक
वक्तावास(निगाई)

4028 27/02/17
मुद्रांक 27/02/17
पिता/पति का नाम सुनील मोहंशी
निवासी 1 गुलामोहन मोहंशी -
मुद्रांक का मूल रूप Empty
नमूने 03/20
पेसा/पेसों का गैर-मौलिक

मुद्रांक 27/02/17
पिता/पति का नाम सुनील मोहंशी
निवासी 1 गुलामोहन मोहंशी -
मुद्रांक का मूल रूप Empty
नमूने 03/20
पेसा/पेसों का गैर-मौलिक

52/10
मुद्रांक 27/02/17
पिता/पति का नाम सुनील मोहंशी
निवासी 1 गुलामोहन मोहंशी -
मुद्रांक का मूल रूप Empty
नमूने 03/20
पेसा/पेसों का गैर-मौलिक



जो कि मेरे स्वयं की सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि की आराजी निम्न प्रकार से वाके ग्राम भुरटिया, पटवार हल्का भुरटिया, तहसील निवाई, जिला टोंक राजस्थान प्रान्त, में स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

<u>खसरा नंबर</u>	<u>रकबा</u>	<u>किस्म</u>
1244/3	12-04	बारानी-3

कुल .किता 01 कुल रकबा 12-04 बीघा (बारह बीघा चार बिस्वा) भूमि में सम्पूर्ण हिस्सा मेरे स्वयं के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त मेरे हिस्से की सम्पूर्ण भूमि कही रहन, बय आदि नहीं है तथा उक्त वर्णित मेरे हिस्से की सम्पूर्ण भूमि में मेरे अलावा अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नहीं है, जिसका मैं एक मात्र मालिक अधिकारी व काबिज व्यक्ति हूँ इस प्रकार मुझे उक्त कृषि भूमि सभी प्रकार के भारो, झगडे टंटो इत्यादि से मुक्त एवं साफ पाक सम्पत्ति है और अवाप्ति से मुक्त है, मुझे मेरे हिस्से की उक्त वर्णित भूमि को हर प्रकार से विक्रय करने, रहन रखने के के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

जो कि मैं अपने कार्य धन्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता हूँ इसलिये मैं अपनी उक्त ग्राम भुरटिया, पटवार हल्का भुरटिया, तहसील निवाई, जिला टोंक के अन्तर्गत कृषि भूमि खसरा नंबर 1244/3 रकबा 12-04 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण की देखभाल एवं अन्य कार्यवाहियों करने में असमर्थ हूँ इसलिये मैंने इस मुख्तयारनामा आम के द्वारा संजीवनी अफोर्डेबल होम्स प्रा० लि० रजिस्टर्ड कार्यालय पिंजरापोल गौशाला के सामने, टोंक रोड, सांगानेर जयपुर जरिये निदेशक श्री राजीव टाक पुत्र श्री भागचन्द टाक आयु 41 वर्ष, निवासी 131, आसिंद नगर, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को अपना मुख्तयार आम (पावर ऑफ अटार्नी) नियुक्त करता हूँ और लिख देता हूँ कि उक्त मुख्तयारआम मेरी ओर से न्यायालय एस०डी०एम०, तहसीलदार निवाई, नायब तहसीलदार, दत्तवास सिविल न्यायालय, ए०सी०जे०एम० न्यायालय, सेशन न्यायालय, अपीलेंट न्यायालय, राजस्व मण्डल, हाईकोर्ट तथा सब-रजिस्ट्रार, दत्तवास (निवाई) आदि सभी न्यायालयों, सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी महकमों में उक्त मेरे 1/2 हिस्से की भूमि से

Director

Pring Maheshwari

निरंतर.....3...

2

2/3/2017

सुनिता मोहम्मद खान
सुनिता मोहम्मद खान

महानगर
प्लॉट नं. 301, मस्जिद, आई.एस.एन.ए. हाथोनेर रोड जयपुर

प्रमाणित
प्रमाणित

रकम रु. 46/1928 दिनांक 2/3/2017

मूल्य	रु. 13760
अन्य	रु. 300
कुल	रु. 5520
अन्य	रु. 27020
कुल	रु. 46600

रूप पंजीयक दस्तावेज



संबंधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही में मेरी ओर से उपस्थित होकर अधिवक्ता नियुक्त करे, मेरी ओर से वकालतनामों पर हस्ताक्षर करे, प्रार्थना पत्र, वाद-पत्र, जवाबदावा, अपील, निगरानी, याचिका, राजीनामा, शपथ-पत्र आदि पर मेरी ओर से अपने हस्ताक्षर उक्त मुख्तयारआम करे, सबूत दस्तावेज पेश करे, उक्त मेरे 1/2 हिस्से की भूमि की देखभाल करे, भूखण्डों में विभाजन करे, प्लान के अनुसार मानचित्र बनवाये, पत्थर गद्दी करवाये, एक मूशत अथवा टुकड़ों में विक्रय कर विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर क्रेता को मौके पर कब्जा संभलावे, तथा विक्रय पत्र (रजिस्ट्री) आदि में मेरी ओर से अपने दस्तखत करके पंजीयन हेतु संबंधित उप-पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होकर पेश करे, पंजीकृत करावे, बयान देवे, तस्दीक करे, स्वयं के नाम अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति, कम्पनी, संस्था आदि के हित में रजिस्ट्री करवाये, इससे संबंधित अन्य आवश्यक कार्यवाहीयां पूर्ण करे।

सारांश यह है कि मेरी उक्त वर्णित भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि के संबंध में उक्त मुख्तयारनामा आम द्वारा उक्त वर्णितानुसार जो भी कार्यवाही, पैरवी व जवाबदेही लिखित व मौखिक मेरे स्वयं के करने की हो वह सब मेरी ओर से उक्त मुख्तयार आम को अपने दस्तखती करने का पूर्ण अधिकार होगा और उक्त मुख्तयारआम द्वारा की गयी तमाम लिखित एवं मौखिक कार्यवाहियाँ व बनाये हुए कार्य मेरे स्वयं के द्वारा किये हुए के समान पूर्णतया स्वीकार व अंगीकार होंगे तथा मेरे द्वारा किये हुए समझे जायेंगे तथा उक्त मुख्तयारनामा आम खण्डनीय है।

यह कि उक्त वर्णित भूमि ग्राम भुरटिया की आबादी व एन. एच. 11 ए व सड़क से 01 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा मौके पर कोई आबादी व निर्माण नहीं है, उक्त वर्णित भूमि में से मेरे 1/2 हिस्से की कृषि भूमि का कब्जा मुख्तयारआम को नहीं संभलाया गया है तथा उक्त मुख्तयारनामा आम निरस्तनीय है।

J. Ltd.

निरंतर....4..

उप-व्यक्ति
दस्तावेज

Sept 1944

प्राप्ति २ नं-३०१ महिला आइसिसे गैरू साधने २०१५ गणपुर्

And C. 111. सोनीवनी आफ, ईस्ट होल्स प्रां हि

प्र. 41... शंभु मोरडी

नेवाली. आंदिदमाद सणाकेरु जुमफुर

५४७१. र

लिफ्ट - ८० - सामक

प्राप्त

14

श. भरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादनकर्ता की पहचान.

Bye

13. एक लिफाफा 10×5 से की है।

६ १/३: अमित पाटिल

१३/११/२०२०

40

निष्ठा शास्त्राचार्य जयपुर ने की है

10/10/1933

‘ले गये हैं।

39

Dr. J. K. Singh





अतः यह मुख्तयारनामा आम मैंने अपनी राजी खुशी दुरुस्त होश हवास की अवस्था में बिना किसी दबाव या बहकावे के रूबरू निम्नलिखित दो गवाहान के समक्ष पढ़ लिख, सुन व समझकर सही अंगीकार एवं स्वीकार करते हुए एक मुद्रांक कुल कीमत रुपये 500/- व तीन पेपर पर हस्ताक्षर कर दिये हैं कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

इति लेख्य दिनांक

ईस्वी

हस्ताक्षर मुख्तयारकर्ता—सुनील माहेश्वरी

31st Homes Pvt. L 1.

हस्ताक्षर मुख्तयारआम—राजीव टाक



गवाह

1.

हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

आयु

निवासी

—

—

—

—

—

महेन्द्र कुमार मीणा

श्री जंगली राम मीणा

40 वर्ष, जाति — मीणा

बी-13एच, तिरुपति नगर, जगतपुरा, जयपुर



गवाह

2.

हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

आयु

निवासी

—

—

—

—

—

अमित पारीक

श्री सुभाष चन्द पुरोहित

40 वर्ष, जाति — ब्राह्मण

100, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर

Drafted by me

(Ashok Maheshwari)

Advocate

98285-51274 (M)

पत्रा सं. १३७५५५०
 प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र की
 प्रमाणित संख्या १३७५५५० माली हुये इस
 पत्र का माली हुये सं. २७०२०... रूपये
 पर कभी प्रमाणित हुये १३७६० का हुल ४६६००
 जरिये सं. ४६/१४२९ दि. २३/२०१७
 से हुये
 अतः प्रमाणित सं. २७५२० का प्रमाणित
 पर प्रमाणित प्रमाणित है।

उप प्रमाणित दस्तावेज

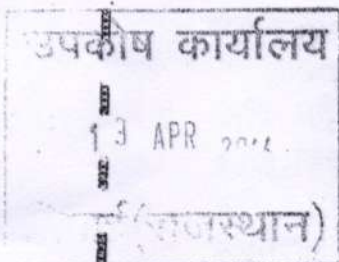
प्रमाणित २३/२०१७... प्रमाणित सं. ५
 प्रमाणित सं. १... प्रमाणित सं. २८...
 प्रमाणित सं. २८... प्रमाणित किया गया।
 प्रमाणित सं. ४... प्रमाणित सं. ४...
 प्रमाणित सं. ११०... प्रमाणित सं. ११३...
 प्रमाणित किया गया।

उप प्रमाणित दस्तावेज



राजस्थान RAJASTHAN

C 684730



विक्रय-पत्र

मैं विष्णुकान्त पुत्र श्री राधागोपाल जाति पुरोहित उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम भुरटिया तह0 निवाई जिला टोंक राजस्थान प्रान्त का रहने वाला हूँ जिसे इस लेख्य पत्र (विक्रय-पत्र) में प्रथमपक्ष विक्रेता शब्द से सम्बोधित किया गया है जिसमें प्रथम पक्ष विक्रेता के समस्त उत्तराधिकारियो, दायभागियो, स्थानापन्नो आदि को भी सम्मिलित समझा जावेगा।

बहक

सुनील माहेश्वरी पुत्र बृजमोहन माहेश्वरी जाति महाजन उम्र 42 वर्ष निवासी फ्लेट नं. 301, महिमा आईरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त को इस लेख्य पत्र (विक्रय-पत्र) में द्वितीयपक्ष क्रेता 'शब्द से संबोधित किया गया है।

Signature of Sunil Maheshwari

Signature of Rajmohan Maheshwari

Signature of Rajmohan Maheshwari

.....2

क. 65 दि. 18.05.2016

नाम विष्णु कान्त

पिता सा. राधागोपाल

पुत्रोद्धार अरुहिया तह लिवाई

रा. 01 रा. 500/-

वस्तु स्वयं विष्णु-कान्त

सदस्य सत्यनारायण शर्मा

वस्तु 115



जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता की स्वयं की 1/8 हिस्से की खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि की आराजी निम्न प्रकार से वाके ग्राम भुरटिया पटवार हल्का हरभांवता तह0 निवाई जिला टोंक राजस्थान में स्थित हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

खसरा नं.

रकबा

किस्म

1244

25-02

बारानी 3

कुल किता 01 कुल रकबा 25-02 बीघा (पच्चीस बीघा दो बिस्वा) भूमि में 1/8 हिस्सा प्रथम पक्ष विक्रेता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रथम पक्ष विक्रेता ने उक्त वर्णित अपनी सम्पूर्ण 1/8 हिस्से की भूमि को आप निम्न वर्णित द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रय कर दी हैं।

उक्त दर्शायेनुसार प्रथम पक्ष विक्रेता की 1/8 हिस्से की भूमि कही रहन, बय आदि नहीं हैं, सभी प्रकार के झगड़ो एवं टन्टो से मुक्त पाक एवं साफ हैं। उक्त 1/8 हिस्से की भूमि में प्रथम पक्ष विक्रेता के अलावा अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नहीं हैं। प्रथम पक्ष विक्रेता को उक्त अपनी सम्पूर्ण हिस्से भूमि को विक्रय करने, रहन रखने के सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हैं।

प्रथम पक्ष विक्रेता को रुपयों की शख्त आवश्यकता हैं, इस कारण प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी उक्त 1/8 हिस्से की भूमि को बिल एवज मुबलिक 18,00,000/-रुपये अक्षरे अठारह लाख रुपये में आप क्रेता द्वितीय पक्ष श्री सुनील माहेश्वरी पुत्र बृजमोहन माहेश्वरी जाति महाजन उम्र 42 वर्ष निवासी फ्लेट नं. 301, महिमा आईरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान को विक्रय कर दी है एवं विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि आप क्रेता से निम्न वर्णित चैको द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा प्रथम पक्ष विक्रेता ने विक्रय की हुई भूमि का कब्जा आप द्वितीय पक्ष क्रेता को मौके पर सम्भला दिया हैं।

.....3

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
उप पंजीयक
बतवास (निवाइ)

आज दिनांक 22.5.16 को बण
 श्री/श्रीमती/सुश्री विष्णु शर्मा
 पुत्र/पति/पुत्री स. च. ग. प. 15
 जाति पुगोली
 निवासी 22201
 ने वेदिका पर विवाह पंजीयन
 किया।

होप्रस्तुत कर्ता होउप पंजीयक दत्त

सहीद स. 80/122P दिनांक 22.5.16

पंजीयन शुल्क रु०	18000
प्रतिनिधि शुल्क रु०	300
अप शुल्क रु०	18000
कमी रकम शुल्क रु०	89500
कुल योग रु०	125800

होउप पंजीयक दत्त



चैक सं.	तादादी	बैंक का नाम	दिनांक
103147	4,00,000 / -रुपये	YES Bank, PWD Colony, Jodhpur (Raj.)	20.06.2016
587683	5,00,000 / -रुपये	YES Bank, PWD Colony, Jodhpur (Raj.)	20.07.2016
587673	625000 / -	YES Bank, PWD Colony, Jodhpur (Raj.)	10.08.2016
587687	275000 / -	YES BANK.	10.09.2016

विक्रय की गई उक्त भूमि को आप द्वितीय पक्ष स्वयं काशत करे, दीगर से काशत करावें, चाहे रहन या विक्रय आदि करे नियमानुसार दाखिल खारिज करवाकर पैदावार से फायदा उठाते रहें, इसमें मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता व मेरे वारिसान् आदि किसी को कोई एतराज नहीं हैं। यदि उक्त चैको में से सभी या कोई एक या ~~दो~~ चैको की राशि का भुगतान क्रेता की क्रेडिट के कारण विक्रेता को नहीं हो पाता हैं तो उक्त दशा में यह विक्रय-पत्र शून्य मथा निष्प्रभावी विधिनुसार हो जायेगा और इससे क्रेता को कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

पाला पानी, घास-फूस, मेर-कोर, बूल-सूल सहित मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता ने मेरे सम्पूर्ण हिस्से की भूमि को आप क्रेता द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दी हैं व सम्भला दी हैं। विक्रयशुदा भूमि में मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता व मेरे वारिसान् आदि का कोई उज्र नहीं रहा हैं, न ही भविष्य में रहेगा। भविष्य में कोई उज्र करें तो इस विक्रय-पत्र की रूह से राजकीय न्यायालयों में झूठे माने जावेगें। उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, कब्जे सम्बंधी कोई विवाद नहीं हैं, कोई स्थगन नहीं हैं, यदि पुराना कोई विवाद या स्थगन निकलता हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता की होगी एवं रजिस्ट्री का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष क्रेता का लगा हैं।

विक्रय की गई भूमि ग्राम भुरटिया की आबादी व एन. एच. 11 ए व सड़क से एक किलोमीटर से अधिक दूर स्थित हैं तथा मौके पर कोई आबादी व निर्माण नहीं हैं। विक्रय की गयी भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता मौजूद हैं।

Pragya Sharma

उप पञ्जीयक
दस्तावेज (निवाडी)

उत्तर श्री/श्रीमती/पुत्री (Executant)
 विष्णु शर्मा S/O राधा गौ.पा.ठ.
 पति ... 35 ... पेशा ...
 निवासी ... मरहटा ...
 (And ... श्री/श्रीमती/पुत्री ...
 ... श्री/श्रीमती/पुत्री ...
 उम्र ... 42 ... मरहटा ...
 निवासी ... जयपुर ...
 ने लेख ... कर निष्पादन
 करना ...
 प्रतिफल ... 1800000 ... में/मेरे समक्ष
 रूपये ...
 पूर्व में ...
 या मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।
 उ ... की पहचान



[Signature]



[Signature]

... श्री/श्रीमती/पुत्री ...
 पुत्र/पुत्री श्री ...
 उम्र ... 35 ... पेशा ...
 निवासी ... ने की है।
 2. श्री/श्रीमती/पुत्री ...
 पुत्र/पुत्री श्री ...
 उम्र ... 39 ... पेशा ...
 निवासी ... ने की है।
 जिनके समक्ष हस्ताक्षर व अनुमति निशानों परे समक्ष
 लिये गये हैं।

[Signature]



[Signature]

[Signature]

सब पक्षीयक दस्तखत



... श्री/श्रीमती/पुत्री ...



इस दस्तावेज की कॉपी भविष्य में अपठनीय व अस्पष्ट होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अतः यह विक्रय-पत्र राजी-खुशी से, बिना किसी नशे-पत्ते, के होश-हवाश की दुरुस्ती में कागज स्टाम्प 500/-रुपये के किता एक व 3 किता सादा पाईप पेपर पर निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।
दिनांक : 23.05.2016 ड्राफ्टेड बाई :- राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट, निवाई

Rajesh Kumar Sharma

[Signature]

ह0 क्रेता (द्वितीय पक्ष)

ह0 विक्रेता (प्र

साक्षी: (1) अजयसिंह राठौड़ पुत्र श्री हेमसिंह राठौड़
जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम चन्दलाई
तह0 चाकसू जिला जयपुर राज0



[Signature]

साक्षी: (2) श्रवणलाल चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र
जाति जाट उम्र 39 वर्ष नि0 पान्ड़वो की ढाणी
ग्राम शिकारपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर राज0

- श्री श्रवणलाल चौधरी

[Signature]



[Signature]
उप पंजीयक
दस्तावेज (निवाई)

धारा 54 के तहत प्रमाण पत्र
 प्रस्तुत किया जाता है कि इस विक्रय पत्र की
 कीमत रु. 1,80,000.00 मानते हुये इस
 पर देय कर की गणना रु. 89,500.00 रुपये
 पर करीब 1,80,000 रु. कुल 1,25,800
 से करीब 80/1229 दि. 23.5.16
 अतः दस्तावेज का नं. 90000 का मुद्रांक
 पर निम्नलिखित माना जाता है।

उप पंजीयक दस्तावेज

आज दिनांक 23.5.16 को पुस्तक सं. 1
 जिल्द सं. 02 से पृष्ठ सं. 138.....
 क्रम सं. 238 पर पंजीयक किया गया।
 तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 02
 के पृष्ठ सं. 598 से 602.....
 पर घरपा किया गया।

उप पंजीयक दस्तावेज



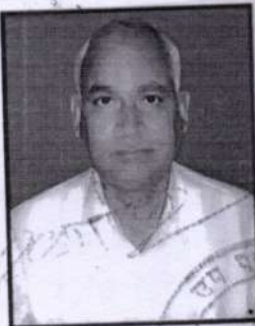
राजस्थान RAJASTHAN

C 684704

उपकोष कार्यालय

13/08/2017

(राजस्थान)



विक्रय-पत्र

मैं रवीकान्त पुत्र श्री राधागोपाल जाति पुरोहित उम्र ४२ वर्ष निवासी ग्राम भुरटिया तह0 निवाई जिला टोंक राजस्थान प्रान्त का रहने वाला हूँ जिसे इस लेख्य पत्र (विक्रय-पत्र) में प्रथमपक्ष विक्रेता शब्द से सम्बोधित किया गया है जिसमें प्रथम पक्ष विक्रेता के समस्त उत्तराधिकारियो, दायभागियो, स्थानापन्नो आदि को भी सम्मिलित समझा जावेगा।

बहक

सुनील माहेश्वरी पुत्र बृजमोहन माहेश्वरी जाति महाजन उम्र 42 वर्ष निवासी फ्लेट नं. 301, महिमा आईरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त को इस लेख्य पत्र (विक्रय-पत्र) में द्वितीयपक्ष क्रेता 'शब्द से संबोधित किया गया है।

[Signature]

[Signature]
उप पंजीयक

.....2

क. 66 दि. 18.05.2016

नाम श्रीकान्त

पिता का नाम श्रीगोपाल

जति पुरोहितिका श्री अरुणिया तहसील

संख्या 01 री. 500 -

मार्फत व्यव. दास्ते विक्रम पत्र

स्वाम्य विवेता सत्यनारायण कर्मा

अन्य नारायण 01

श्रीकान्त



2.

जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता की स्वयं की 1/8 हिस्से की खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि की आराजी निम्न प्रकार से वाके ग्राम भुरटिया पटवार हल्का हरभांवता तह0 निवाई जिला टोंक राजस्थान में स्थित हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

खसरा नं.	रकबा	किस्म
1244	25-02	बारानी 3

कुल किता 01 कुल रकबा 25-02 बीघा (पच्चीस बीघा दो बिस्वा) भूमि में 1/8 हिस्सा प्रथम पक्ष विक्रेता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रथम पक्ष विक्रेता ने उक्त वर्णित अपनी सम्पूर्ण 1/8 हिस्से की भूमि को आप निम्न वर्णित द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रय कर दी हैं।

उक्त दर्शायेनुसार प्रथम पक्ष विक्रेता की 1/8 हिस्से की भूमि कही रहन, बय आदि नहीं हैं, सभी प्रकार के झगड़ो एवं ट-टो से मुक्त पाक एवं साफ हैं। उक्त 1/8 हिस्से की भूमि में प्रथम पक्ष विक्रेता के अलावा अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नहीं हैं। प्रथम पक्ष विक्रेता को उक्त अपनी सम्पूर्ण हिस्से भूमि को विक्रय करने, रहन रखने के सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हैं।

प्रथम पक्ष विक्रेता को रुपयों की शख्त आवश्यकता हैं, इस कारण प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी उक्त 1/8 हिस्से की भूमि को बिल एवज मुबलिक 18,00,000/-रुपये अक्षरे अठारह लाख रुपये में आप क्रेता द्वितीय पक्ष श्री सुनील माहेश्वरी पुत्र बृजमोहन माहेश्वरी जाति महाजन उम्र 42 वर्ष निवासी फ्लेट नं. 301, महिमा आईरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान को विक्रय कर दी है एवं विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि आप क्रेता से निम्न वर्णित चैको द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा प्रथम पक्ष विक्रेता ने विक्रय की हुई भूमि का कब्जा आप द्वितीय पक्ष क्रेता को मौके पर सम्भला दिया हैं।

.....3

King Mohan Singh

उप पंजीयक
दत्तवास(निवाई)

Qasim

आज दिनांक 23.5.16 को बज
 श्री/श्रीमती/सुश्री 24.5.16
 पुत्र/पत्नि/पुत्री 1 सा 24.5.16
 जाति 24.5.16
 निवासी 24.5.16
 ने मेरे सन्तान दत्तवेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत
 किया।

होप्रस्तुत कर्ता हउउप पंजीयक दत्तवेज

रसीद स... 81/12.24 दिनांक 28.5.16
 पंजीयन शुल्क रु० 18000
 प्रतिनिधि शुल्क रु० 300
 पृष्ठांकन शुल्क रु० -
 अन्य शुल्क रु० 18000
 कभी स्तम्भ शुल्क रु० 89500
 कुल योग रु० 125800

उप पंजीयक दत्तवेज



3.

चैक सं.	तादादी	बैंक का नाम	दिनांक
103145	4,00,000 / -रुपये	YES Bank, PWD Colony, Jodhpur (Raj.)	10.06.2016
587681	5,00,000 / -रुपये	YES Bank, PWD Colony, Jodhpur (Raj.)	10.07.2016
587676	6,25,000 / -रुपये	YES Bank, PWD Colony, Jodhpur (Raj.)	25-08-2016
103143	2,75,000 / -रुपये	u	20-09-2016

विक्रय की गई उक्त भूमि को आप द्वितीय पक्ष स्वयं काशत करे, दीगर से काशत करावें, चाहे रहन या विक्रय आदि करे नियमानुसार दाखिल खारिज करवाकर पैदावार से फायदा उठाते रहें इसमें मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता व मेरे वारिसान् आदि किसी को कोई एतराज नहीं हैं। यदि उक्त चैको में से सभी या कोई एक या ^{अधिक} चैको की राशि का भुगतान क्रेता की क्रेडिट के कारण विक्रेता को नहीं हो पाता हैं तो उक्त दशा में यह विक्रय-पत्र शून्य तथा निष्प्रभावी विधिनुसार हो जायेगा और इससे क्रेता को कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

पाला पानी, घास-फूस, मेर-कोर, बूल सूल सहित मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता ने मेरे सम्पूर्ण हिस्से की भूमि को आप क्रेता द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दी हैं व सम्भला दी हैं। विक्रयशुदा भूमि में मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता व मेरे वारिसान् आदि का कोई उज्र नहीं रहा हैं, न ही भविष्य में रहेगा। भविष्य में कोई उज्र करें तो इस विक्रय-पत्र की रूह से राजकीय न्यायालयों में झूठे माने जावेगें। उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, कब्जे सम्बंधी कोई विवाद नहीं हैं, कोई स्थगन नहीं हैं, यदि पुराना कोई विवाद या स्थगन निकलता हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता की होगी एवं रजिस्ट्री का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष क्रेता का लगा हैं।

विक्रय की गई भूमि ग्राम भुरटिया की आबादी व एन. एच. 11 ए व सड़क से एक किलोमीटर से अधिक दूर स्थित हैं तथा मौके पर कोई आबादी व निर्माण नहीं हैं। विक्रय की गयी भूमि पर आने-जाने हेतु गाड़ी-गैला का रास्ता मौजूद हैं।

King Mahesh

King
उप पंजीयक
दत्तवास(निवाई)

Devi 4

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री(Executant)
 श्रीमान दुज राधारामपांड
 उम्र जाति कुमार पेशा
 निवासी दुरादि
 (And Claimant) अश्वीन साहेबजी श.
 उम्र २ जाति कुमार
 निवासी जयपुर
 ने लेख पत्र को पढ़ने व शर्तों पर निष्ठा वन
 करना स्वीकार किया।
 प्रतिफल राशि 1800000 रुपये/मेरे समक्ष
 रुपये
 पूर्व में
 या मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।
 उक्त निष्पादनकर्ता की पहचान amf

मेरी

पुष्पलाल

श्री/श्रीमती/सुश्री अकपाल सिंह राठौर
 पुत्र/पुत्री श्री हिरा सिंह राठौर
 उम्र 35 जाति राठौर पेशा
 निवासी सन्तला
 ने की है।
 श्री/श्रीमती/सुश्री अकपाल सिंह राठौर
 पुत्र/पुत्री राठौर
 उम्र 39 जाति राठौर
 निवासी जिला
 ने की है।
 जिनके सत्य उक्त पत्र व अनुष्ठानिक पत्रों पर
 लिखे गये हैं।

amf

अकपाल सिंह राठौर

सत्य प्रतीयक दस्तवाज



इस दस्तावेज की कॉपी भविष्य में अपठनीय व अस्पष्ट होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अतः यह विक्रय-पत्र राजी-खुशी से, बिना किसी नशे-पत्ते, के होश-हवाश की दुरुस्ती में कागज स्टाम्प 500/-रुपये के किता एक व 3 किता सादा पाईप पेपर पर निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।
दिनांक : 23.05.2016 ड्राफ्टेड बाई :- राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट, निवाई

Rakesh Kumar Sharma

Prakash Singh

ह0 क्रेता (द्वितीय पक्ष)

साक्षी: (1) अजयसिंह राठौड़ पुत्र श्री हेमसिंह राठौड़
जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम चन्दलाई
तह0 चाकसू जिला जयपुर राज0

ह0 विक्रेता (प्रथम पक्ष)



Prakash Singh

साक्षी: (2) श्रवणलाल चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र
जाति जाट उम्र 39 वर्ष नि0 पान्ड़वो की ढाणी
ग्राम शिकारपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर राज0



Shrawan Lal Choudhary

Prakash Singh



धारा 54 के तहत प्रमाण पत्र
 प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र की
 कालिदास रावत 1800000. गाते हुये इस
 पर देय करी गलांक राशि 089500. रुपये
 पर करी गलांक राशि 18000. मुल. 125800
 जरिये 8/1229 23.5.16
 से जमा किये गये है।
 अतः दस्तावेज को सं 90000 क मुद्रांक
 पर निष्पादित माना जाता है।

सप पंजीयक दस्तावेज

आज दिनांक 23.5.16 का पुस्तक सं 1
 जिल्द सं 02 से पृष्ठ सं 139
 क्रम सं 239 पर पंजीयक किया गया।
 तथा जिल्द सं 1 जिल्द सं 02
 के पृष्ठ सं 603 से 606
 पर चस्पा किया गया।

सप पंजीयक दस्तावेज

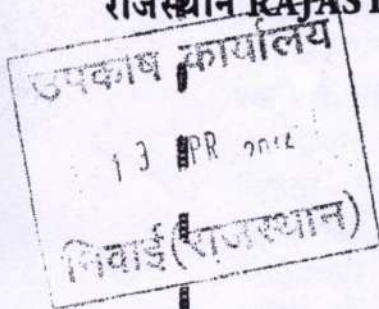
(A)

(1)



राजस्थान RAJASTHAN

C 684715



Handwritten signature: Jalandharis

विक्रय-पत्र

मैं शशीकान्त पुत्र श्री राधागोपाल जाति पुरोहित उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम भुरटिया तह0 निवाड़ी जिला टोंक राजस्थान प्रान्त का रहने वाला हूँ जिसे इस लेख्य पत्र (विक्रय-पत्र) में प्रथमपक्ष विक्रेता शब्द से सम्बोधित किया गया है जिसमें प्रथम पक्ष विक्रेता के समस्त उत्तराधिकारियो, दायभागियो, स्थानापन्नो आदि को भी सम्मिलित समझा जावेगा।

बहक



सुनील माहेश्वरी पुत्र बृजमोहन माहेश्वरी जाति महाजन उम्र 42 वर्ष निवासी फ्लेट नं. 301, महिमा आईरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त को इस लेख्य पत्र (विक्रय-पत्र) में द्वितीयपक्ष क्रेता 'शब्द से संबोधित किया गया है।

.....2

Handwritten signature: Jalandharis

Handwritten signature

Handwritten signature

क ५२ दि० ०२.०५. २०१६

नाम श्री श्री कान्त

पिता का नाम राजा गोपाल

पुत्रोद्दिष्टिनीकसी भुरिया लठेवाइ जिर वेकें

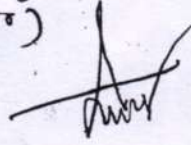
राशि ०१ राशि ५००/-

(राजग)

मार्कट स्वयं वारते विक्रय-पत्र

स्टाम्प विक्रेता सत्यनारायण शर्मा

सत्यनारायण शर्मा





2.

जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता की स्वयं की 1/9 हिस्से की खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि की आराजी निम्न प्रकार से वाके ग्राम भुरटिया पटवार हल्का हरभांवता तह0 निवाई जिला टोंक राजस्थान में स्थित हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

खसरा नं.	रकबा	किस्म
1244	25-02	बारानी 3

कुल किता 01 कुल रकबा 25-02 बीघा (पच्चीस बीघा दो बिस्वा) भूमि में 1/9 हिस्सा प्रथम पक्ष विक्रेता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रथम पक्ष विक्रेता ने उक्त वर्णित अपनी सम्पूर्ण 1/9 हिस्से की भूमि को आप निम्न वर्णित द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रय कर दी हैं।

उक्त दर्शायेनुसार प्रथम पक्ष विक्रेता की 1/9 हिस्से की भूमि कही रहन, बय आदि नहीं हैं, सभी प्रकार के झगड़ो एवं टन्टो से मुक्त पाक एवं साफ हैं। उक्त 1/9 हिस्से की भूमि में प्रथम पक्ष विक्रेता के अलावा अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नहीं हैं। प्रथम पक्ष विक्रेता को उक्त अपनी सम्पूर्ण हिस्से भूमि को विक्रय करने, रहन रखने के सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हैं।

प्रथम पक्ष विक्रेता को रुपयों की शख्त आवश्यकता है, इस कारण प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी उक्त 1/9 हिस्से की भूमि को बिल एवज मुबलिक 16,00,000/-रुपये अक्षरे सोलह लाख रुपये में आप क्रेता द्वितीय पक्ष श्री सुनील माहेश्वरी पुत्र बृजमोहन माहेश्वरी जाति महाजन उम्र 42 वर्ष निवासी फ्लेट नं. 301, महिमा आईरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान को विक्रय कर दी है एवं विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि आप क्रेता से निम्न वर्णित चैको द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा प्रथम पक्ष विक्रेता ने विक्रय की हुई भूमि का कब्जा आप द्वितीय पक्ष क्रेता को मौके पर सम्भला दिया हैं।

.....3

Pratap Maheshwari

[Signature]

[Signature]

आज दिनांक 4.5.16 को बज
 श्री/श्रीमती/सुश्री... 2. 3. 1. 2. 3.
 पुत्र/पति/पुत्री
 जाति पेशा
 निवासी
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत
 किया।

ह० प्रस्तुत कर्ता / ह० उप पंजीयक दस्तावेज

पत्र सं. 13/1228 दिनांक 4.5.16
 पंजीयन शुल्क रु० 16000
 प्रतिलिपि शुल्क रु० 3000
 पृष्ठांकन शुल्क रु० 16000
 अन्य शुल्क रु० 79500
 कमी स्टाम्प शुल्क रु० 1,11,800
 कुल योग रु०

उप पंजीयक दस्तावेज



3.

चैक सं.	तादादी	बैंक का नाम	दिनांक
587685	787500	YES BANK	16.05.2016
587667	312500	YES BANK	25.06.2016
587684	5.00.000	YES BANK	25.07.2016

विक्रय की गई उक्त भूमि को आप द्वितीय पक्ष स्वयं काशत करे, दीगर से काशत करावें, चाहे रहन या विक्रय आदि करे नियमानुसार दाखिल खारिज करवाकर पैदावार से फायदा उठाते रहें इसमें मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता व मेरे वारिसान् आदि किसी को कोई एतराज नहीं हैं।

पाला पानी, घास-फूस, मेर-कोर, बूल-सूल सहित मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता ने मेरे सम्पूर्ण हिस्से की भूमि को आप क्रेता द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दी हैं व सम्भला दी हैं। विक्रयशुदा भूमि में मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता व मेरे वारिसान् आदि का कोई उज्र नहीं रहा हैं, न ही भविष्य में रहेगा। भविष्य में कोई उज्र करें तो इस विक्रय-पत्र की रूह से राजकीय न्यायालयों में झूठे माने जावेंगे। उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, कब्जे सम्बंधी कोई विवाद नहीं हैं, कोई स्थगन नहीं हैं, यदि पुराना कोई विवाद या स्थगन निकलता हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता की होगी एवं रजिस्ट्री का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष क्रेता का लगा हैं।

विक्रय की गई भूमि ग्राम भुरटिया की आबादी व एन. एच. 11 ए व सड़क से एक किलोमीटर से अधिक दूर स्थित हैं तथा मौंके पर कोई आबादी व निर्माण नहीं हैं। विक्रय की गयी भूमि पर आने-जाने हेतु गाड़ी-गैला का रास्ता मौजूद हैं।

.....4

Pratap Kumar

[Signature]

[Signature]

5183
5183
5183

... श्री/श्री (Executant)

श्रीमान श्री. ० नारायण प्रसाद
६२ जाति... पुरोहित पेशा... जेठपुरा

(And Claimant) ... श्री/श्री ...

उम्र ... ४५ ... जाति ... पेशा ...
निवासी ...

ने लेख पत्र को पढ़ सुन में समझकर निष्पादन
करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि 1.60,000.00 पूर्व में/मेरे समक्ष
रूपये ...

पूर्व में ...
या मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।
उक्त निष्पादनकर्ता की पहचान



ds



gupta phulendra



Ash



... श्री/श्री ...

उम्र/पुत्री श्री ...

उम्र ... ३५ ... जाति ... पेशा ...

निवासी ...

२. श्री/श्री/श्री/श्री ...

उम्र ... ४९ ... जाति ... पेशा ...

निवासी ...

जिनको समस्त हस्ताक्षर और निशानी मेरे समक्ष
लिये गये हैं।

उप पक्षीयक दस्तवाज

देवराज लाल चौधरी

4.

इस दस्तावेज की कॉपी भविष्य में अपठनीय व अस्पष्ट होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अतः यह विक्रय-पत्र राजी-खुशी से बिना किसी नशे-पत्ते, के होश-हवाश की दुरुस्ती में कागज स्टाम्प 500/-रूपये के किता एक व 3 किता सादा पाईप पेपर पर निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।
दिनांक : 04.05.2016 ड्राफ्टेड बाई :- राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट, निवाई

ह0 क्रेता (द्वितीय पक्ष)

साक्षी: (1) अजयसिंह राठौड़ पुत्र श्री हेमसिंह राठौड़
जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम चन्दलाई
तह0 चाकसू जिला जयपुर राज0

ह0 विक्रेता (प्रथम पक्ष)

साक्षी: (2) श्रवणलाल चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र
जाति जाट उम्र 39 वर्ष नि0 पान्ड़वो की ढाणी
ग्राम शिकारपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर राज0

श्रवण लाल चौधरी



उप पंजीयक
दस्तावास(नि)

धारा 54 के तहत प्रमाण पत्र
 अंशगणित किया जाता है कि इस रिफ़ाय पत्र की
 मालियत रूपये 16,00,000..मानते हुये इस
 पर देय कमी मुद्रांक राशि 79,500.....रूपये
 पर कमी पंजीयन शुल्क 1,60,000...कुल 1,11,800
 जरिये रसीद सं० 13/12/29 दि० 4.5.16
 से जमा किये गये है।
 अतः दस्तावेज को रू० 80,000 क मुद्रांक
 पर निष्पादित माना जाता है।

उप पंजीयक दत्तगार

अतः देनांक 4/5/16 का पुस्तक सं० 1
 सं० 01.....मे पृष्ठ सं० 94.....
 प्र० सं० 94.....पर पंजीबद्ध किया गया।
 तथा अतिरिक्त पुस्तक सं० 1.....जिल्द सं० 0
 के पृष्ठ सं० 284.....से 288.....
 पर चर्या किया गया।

उप पंजीयक दत्तगार



राजस्थान RAJASTHAN

C 684703



विक्रय-पत्र

मैं नीलकान्त पुत्र श्री राधागोपाल जाति पुरोहित उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम भुरटिया तह0 निवाई जिला टोंक राजस्थान प्रान्त का रहने वाला हूँ जिसे इस लेख्य पत्र (विक्रय-पत्र) में प्रथमपक्ष विक्रेता शब्द से सम्बोधित किया गया है जिसमें प्रथम पक्ष विक्रेता के समस्त उत्तराधिकारियो, दायभागियो, स्थानापन्नो आदि को भी सम्मिलित समझा जावेगा।

बहक

सुनील माहेश्वरी पुत्र बृजमोहन माहेश्वरी जाति महाजन उम्र 42 वर्ष निवासी फ्लेट नं. 301, महिमा आईरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त को इस लेख्य पत्र (विक्रय-पत्र) में द्वितीयपक्ष क्रेता 'शब्द से संबोधित किया गया है।

.....2

Signature

Signature

Signature

क 64 दि० 18-05-2016

नाम वीलकान्त

पिता का नाम शास्त्राशोपाल

जन्म पुरोहित निवासी गुरदिया तहसीलवाइ

संख्या 01 राशि 500/-

मार्फत वक्ता वास्तु विक्रय पत्र

सत्यनारायण सत्यनारायण शर्मा

10/5/2016

MAHARAJA



2.

जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता की स्वयं का 1/8 हिस्से की खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि की आराजी निम्न प्रकार से वाके ग्राम भुरटिया पटवार हल्का हरभांवता तह0 निवाई जिला टोंक राजस्थान में स्थित हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

खसरा नं.

रकबा

किस्म

1244

25-02

बारानी 3

कुल किता 01 कुल रकबा 25-02 बीघा (पच्चीस बीघा दो बिस्वा) भूमि में 1/8 हिस्सा प्रथम पक्ष विक्रेता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रथम पक्ष विक्रेता ने उक्त वर्णित अपनी सम्पूर्ण 1/8 हिस्से की भूमि को आप निम्न वर्णित द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रय कर दी हैं।

उक्त दर्शानुसार प्रथम पक्ष विक्रेता की 1/8 हिस्से की भूमि कही रहन, बय आदि नहीं हैं, सभी प्रकार के झगड़ो एवं टन्टो से मुक्त पाक एवं साफ हैं। उक्त 1/8 हिस्से की भूमि में प्रथम पक्ष विक्रेता के अलावा अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नहीं हैं। प्रथम पक्ष विक्रेता को उक्त अपनी सम्पूर्ण हिस्से भूमि को विक्रय करने, रहन रखने के सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हैं।

प्रथम पक्ष विक्रेता को रुपयों की शख्त आवश्यकता हैं, इस कारण प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी उक्त 1/8 हिस्से की भूमि को बिल एवज मुबलिक 18,00,000/-रुपये अक्षरे अठारह लाख रुपये में आप क्रेता द्वितीय पक्ष श्री सुनील माहेश्वरी पुत्र बृजमोहन माहेश्वरी जाति महाजन उम्र 42 वर्ष निवासी फ्लेट नं. 301, महिमा आईरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान को विक्रय कर दी है एवं विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि आप क्रेता से निम्न वर्णित चैको द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा प्रथम पक्ष विक्रेता ने विक्रय की हुई भूमि का कब्जा आप द्वितीय पक्ष क्रेता को मौके पर सम्भला दिया हैं।

.....3

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
उप-पंजीयक
दत्तवास(नि)

आज दिनांक 23.5.16 को बज

श्री/श्रीमती/श्रीमती श्रीमान्

पुत्र/पत्नी/पुत्री राधाश्याम

जन्म .. 23.5.16

निवासी अराई

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत

किया।

होप्रार्थन कर्ता

हउप पंजीयक दत्तवाप

दिनांक 23.5.16

79/1289

पंजीयक मुल्य रु० 18000

प्रतिनिधि मुल्य रु० 300

पृष्ठांकन मुल्य रु० -

अन्य शुल्क रु० 18000

कमी स्टाफ मुल्य रु० 89500

कुल योग रु० 125800

उप पंजीयक दत्तवाप



3.

चैक सं.	तादादी	बैंक का नाम	दिनांक
103146	4,00,000 / -रुपये	YES Bank, PWD Colony, Jodhpur (Raj.)	15.06.2016
587682	5,00,000 / -रुपये	YES Bank, PWD Colony, Jodhpur (Raj.)	15.07.2016
587674	625000 / -रुपये	YES Bank, PWD Colony, Jodhpur (Raj.)	15.08.2016
587688	275000 / -रुपये	YES Bank, PWD Colony, Jodhpur (Raj.)	15.08.2016

1800,000 / -रुपये

विक्रय की गई उक्त भूमि को आप द्वितीय पक्ष स्वयं काशत करे, दीगर से काशत करावें, चाहे रहन या विक्रय आदि करे नियमानुसार दाखिल खारिज करवाकर पैदावार से फायदा उठाते रहें इसमें मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता व मेरे वारिसान् आदि किसी को कोई एतराज नहीं हैं। यदि उक्त चैको में से सभी या कोई एक या दो चैको की राशि का भुगतान क्रेता की ऋटि के कारण विक्रेता को नहीं हो पाता हैं तो उक्त दशा में यह विक्रय-पत्र शून्य मथा निष्प्रभावी विधिनुसार हो जायेगा और इससे क्रेता को कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

पाला पानी, घास-फूस, मेर-कोर, बूल-सूल सहित मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता ने मेरे सम्पूर्ण हिस्से की भूमि को आप क्रेता द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दी हैं व सम्भला दी हैं। विक्रयशुदा भूमि में मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता व मेरे वारिसान् आदि का कोई उज्र नहीं रहा हैं, न ही भविष्य में रहेगा। भविष्य में कोई उज्र करें तो इस विक्रय-पत्र की रूह से राजकीय न्यायालयों में झूठे माने जावेंगे। उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, कब्जे सम्बंधी कोई विवाद नहीं हैं, कोई स्थगन नहीं हैं, यदि पुराना कोई विवाद या स्थगन निकलता हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता की होगी एवं रजिस्ट्री का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष क्रेता का लगा हैं।

विक्रय की गई भूमि ग्राम भुरटिया की आबादी व एन. एच. 11 ए व सड़क से एक किलोमीटर से अधिक दूर स्थित हैं तथा मौके पर कोई आबादी व निर्माण नहीं हैं। विक्रय की गयी भूमि पर आने-जाने हेतु गाड़ी-गैला का रास्ता मौजूद हैं।

.....4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
उप पंजीयक
दत्तवास(निगा)

[Handwritten signature]

उक्त / सुश्री (Executant)
 मीलकान्त ४१०२५ पत्नी
 उम्र ७० जाति ५२, १५०
 निवासी २२२१६५
 (And Claimant) ५२/०
 उम्र ५२ महाजन
 निवासी ५५५५
 ने लेख कर निष्पादन
 करना स्वीकार किया
 प्रतिफल रा १८००००० पूर्व में/मेरे समक्ष
 रूपये
 पूर्व में
 या मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया
 उक्त निष्पादनकर्ता की पहचान

Latya २५

श्रीमती/सुश्री ५२/०
 उम्र/पुत्री श्री ५२/०
 उम्र ३५ जाति ५२ पेशा
 निवासी ५२/०
 २. श्री/श्रीमती/सुश्री ५२/०
 उम्र/पुत्री ३९ जाति ५२ पेशा
 निवासी ५२/०
 उनके समक्ष व उगुता निशानी परे समक्ष
 लिये गये हैं।

सप पजीयक दस्तवाज

Latya २५

Latya २५

Latya २५



इस दस्तावेज की कॉपी भविष्य में अपठनीय व अस्पष्ट होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

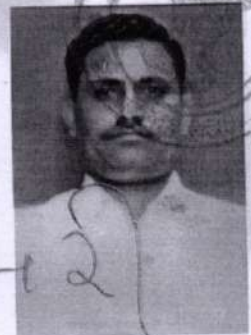
अतः यह विक्रय-पत्र राजी-खुशी से, बिना किसी नशे-पत्ते, के होश-हवाश की दुरुस्ती में कागज स्टाम्प 500/-रूपये के किता एक व 3 किता सादा पाईप पेपर पर निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।
दिनांक : 23.05.2016 ड्राफ्टेड बाई :- राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट, निवाई

ह0 क्रेता (द्वितीय पक्ष)

साक्षी: (1) अजयसिंह राठौड़ पुत्र श्री हेमसिंह राठौड़
जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम चन्दलाई
तह0 चाकसू जिला जयपुर राज0

ह0 विक्रेता (प्रथम पक्ष)

साक्षी: (2) श्रवणलाल चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र
जाति जाट उम्र 39 वर्ष नि0 पान्ड़वो की ढाणी
ग्राम शिकारपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर राज0



उप पंजीयक
दत्तवास (निवाई)

धारा 54 के तहत प्रमाण पत्र
 प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र की
 मालियत रुपये 18,00,000... आनते हुये इस
 पर देय कमी मुद्रांक राशि 089500... रुपये
 पर कमी पंजीयन शुल्क 18000... कुल 125800
 जरिये राशि सं. 79/128 दि. 23.5.16
 से जमा किया गया है।
 अतः दस्तावेज की सं. 90000 क मुद्रांक
 पर निष्पादित माना जाता है।

उप पंजीयक दस्तखत

आज दिनांक 23.5.16 का पुस्तक सं. 1
 जिल्द सं. 02... से पृष्ठ सं. 137...
 क्रम सं. 237... पर पंजीबद्ध किया गया।
 तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1... जिल्द सं. 02
 के पृष्ठ सं. 594... से 597...
 पर चरप्पा किया गया।

उप पंजीयक दस्तखत

CONVERSION ORDER

On the application of agricultural land held by him in his khatedari tenancy is hereby converted for a non-agricultural purpose श्री सुनील माहेश्वरी पुत्र श्री ब्रजमोहन मालपानी निवासी एफ-301 महिमा आईरिस अपार्टमेंट II न्यू सांगानेर रोड, जयपुर under rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under :-

1. Name of Applicant Khatedar/tenants with Father's/husband's name and complete address
श्री सुनील माहेश्वरी पुत्र श्री ब्रजमोहन मालपानी निवासी एफ-301 महिमा आईरिस अपार्टमेंट II न्यू सांगानेर रोड, जयपुर
 2. Whether the applicant is a member of SC/ST
नहीं
 3. Details of the land converted :
 - (a) Name of the village/Gram Panchyat/ Tehsil
ग्राम भूरटिया, ग्राम पंचायत लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक
 - (b) Khasra No. of the land alongwith area of each Khasra No. (in hectare)
खसरा नम्बर 1244/3 रकबा 12.04 बीघा
 - (c) Area converted (in hectare or wq.intr) ind
खसरा नम्बर 1244/3 रकबा 12.04 बीघा में से रास्ते हेतु समर्पण की गई भूमि रकबा 0.11 बी० के उपरान्त अवशेष रकबा 11.13 बी० यानि 29466.11 वर्गमीटर
 - (d) Indicating the area of each Kharsa No.
खसरा नम्बर 1244/3 रकबा 12.04 बीघा में से रास्ते हेतु समर्पण की गई भूमि रकबा 0.11 बी० के उपरान्त अवशेष रकबा 11.13 बी० यानि 29466.11 वर्गमीटर
- Note : A duly verified copy of the relevant part of revenue map showing the land converted for non-agricultural purpose is enclosed.
- संलग्न नक्शा ट्रेस/संलग्न ले आउट प्लान अनुसार
4. Purpose of conversion
आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ
 5. Rate of Conversion charges payable
डीएलसी दर 225000/- रुपये प्रति बीघा से रकबा 11.13 बीघा यानि 29466.11 वर्गमीटर भूमि की कुल कीमत राशि 2621250/-रुपये की 7.5 प्रतिशत रूपान्तरण शुल्क राशि 196594/-रुपये जबकि 7.50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से रूपान्तरण शुल्क 220996/-रुपये होता है, जो देय है।
 6. Amount of premium deposited with No. and date of challan
मद 0029 भू-राजस्व में जरिये ई-चालान नम्बर 0013195798 दिनांक 23.9.16 से दिनांक 26.9.16 को राजकोष में जमा रूपान्तरण शुल्क राशि 50000/- रुपये एवं चालान नम्बर 27416910 दिनांक 8.1.19 से दिनांक 8.1.19 को राजकोष में जमा अन्तर रूपान्तरण शुल्क राशि 170996/-रुपये इस प्रकार कुल जमा रूपान्तरण शुल्क राशि 220996/-रुपये
 7. Amount of penalty deposited, if any, with date and no. of challan
नहीं

8. Amount of interest deposited, if any, with नहीं
date and no. of challan
9. Whether the order issued under Rule 13 नहीं
for regularization.
10. Order particulars, if any नहीं
11. The above conversion order shall be subject to the following conditions :-
 - (i) The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural - purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority.
 - (ii) If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
 - (iii) No land as mentioned in rule 4 shall be used for any non-agricultural purpose.
 - (iv) No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non-agricultural purpose without valid permission from the prescribed Authority.
 - (v) इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डानुसार अनुसार ग्राम भूरटिया में एन.एच. 11ए से 1.5 किमी. दूर ग्रामीण सड़क के मध्य से नियमान्तर्गत निर्धारित दूरी 15.00 मीटर छोड़ने की शर्त पर भूमि का रूपान्तरण किया जाता है। अविष्य में उक्त सड़क की चौड़ाईकरण या अपग्रेडेशन किया जाता है तो उस समय के नियम मान्य होंगे।
 - (vi) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.6 (26) रेव.6/2014/33 दिनांक 8.10.2016 के अनुसार नक्शा/प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है। अतः उक्तानुसार ही भूखण्ड आवंटन / विक्रय की कार्यवाही की जावे।
 - (vii) कॉलोनी में नियमानुसार निर्धारित मापदण्डानुसार सड़कें रखी जावे तथा सार्वजनिक सुविधाएँ भी नॉर्मस अनुसार छोड़ी जावे।
 - (viii) राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 6 (6) राज-6/92-पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावे।

— 56 —

(आर.सी.ढेनवाल)

जिला कलेक्टर, टोंक

क्रमांक: एफ 12 (34) राजस्व/रूपान्तरण/16/ 237 — 43

दिनांक :- 17-1-19

प्रति-निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1-प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक

2-उपखण्ड अधिकारी, निवाई

3-तहसीलदार, निवाई जिला टोंक को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर, पालना रिपोर्ट 3 दिवस में भिजवाने हेतु

4-अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड मालपुरा

5-सरपंच, ग्राम पंचायत, लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक

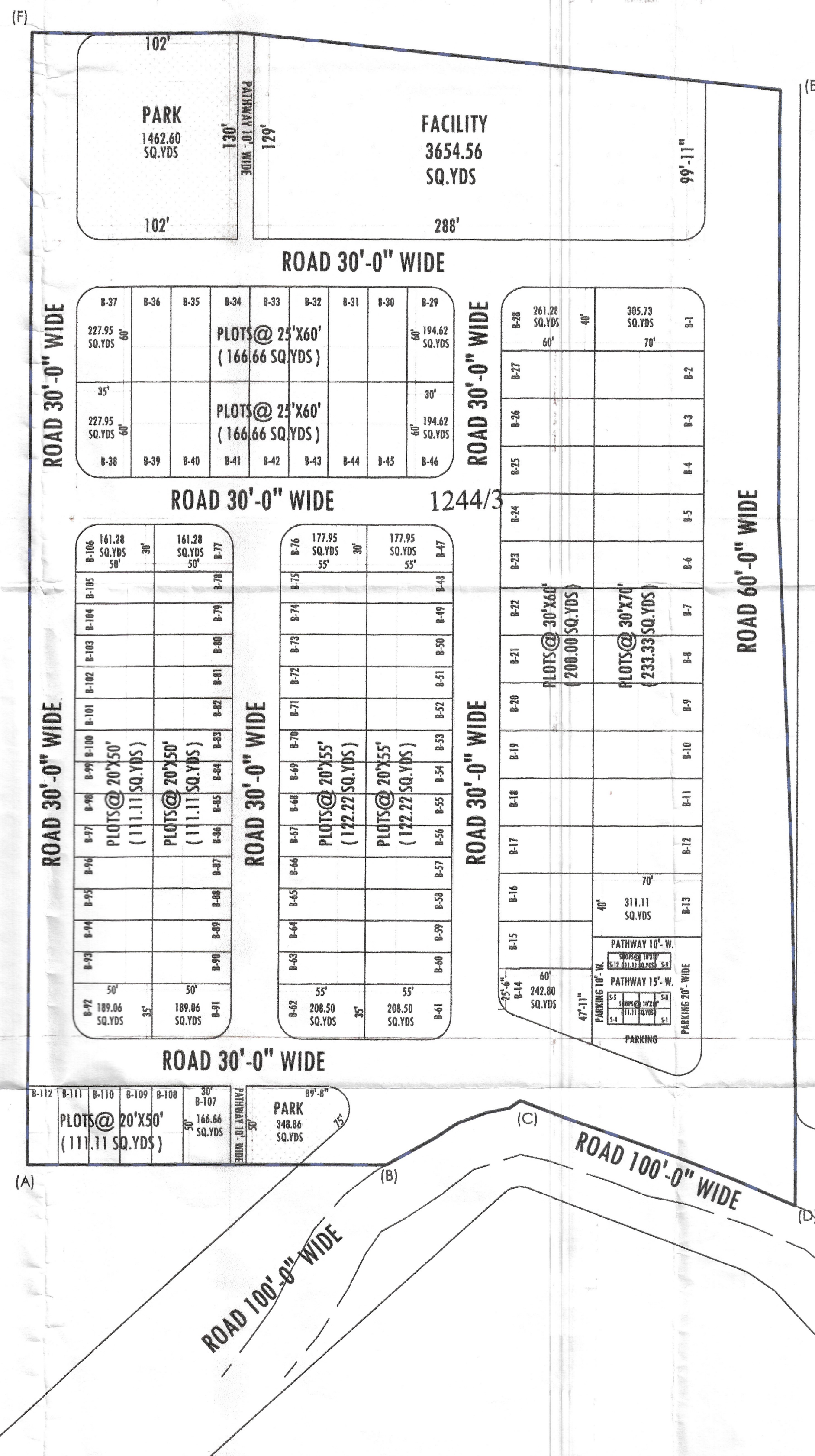
7-श्री सुनील माहेश्वरी पुत्र श्री ब्रजमोहन मालपानी निवासी एफ-301 महिगा आईरिस अपार्टमेन्ट II न्यू सांगानेर रोड, जयपुर

8-रक्षित पत्रावली

— 57 —

जिला कलेक्टर, टोंक

SCALE :- 1" = 50'



Layout/Site Plan Technically Approved का ऑफिस
as per conditions mentioned in Letter No.
A17/1631.../TONK.../167...Dated...14/2/18

जिला कलेक्टर, टोंक के ऑफिस ब्रॉडर एन 12 (अ)
राजस्थान, भारत/16/236-43 दिनांक 17-1-19
से अशासकिय कोलोनिय प्रोपगान्डा विभाग के लिए
आवेदन क्रमांक धरणी कानून 1244/43 ब्रकडा 12-04 बीया
मै लै राखते हेतु समर्पण की गई प्रार्थना पत्रका 011 बीका
के अन्तर्गत अन्वेषण रहा. 11-13 बीका यानि 2344/41
नगरीय प्रार्थना को अग्न प्रत्येका रक्ख नोंकिय के ले आउ प्रान्त
को अन्तर्गत कोमेरी द्वारा दिनांक 4-1-19 के अन्वेषण करियन
पर अन्वेषण ले लिया गया. ले आउ प्रान्त अन्वेषण करियन
का अन्तिम अग्न गे आ

अनुमोदन

जिला दल
दोक (राज)

मेयक
4/2/23
(नियोजित, पूल)
उप नगर नियोजक
अजमेर जोन अजमेर

वरिष्ठ नगर नियोजन
नगर नियोजन विभाग
अजमेर जोन, अजमेर

अतिरिक्त जिना कलेक्ट
दोंक

An aerial photograph showing a coastal area with a blue rectangle highlighting a specific location. The image is oriented horizontally, with the coastline running vertically on the right side. The land area is mostly brown and textured, with some darker patches. A blue rectangle is located in the upper-middle part of the image, highlighting a specific area of interest. The image is framed by a black border, and there are some small, dark, irregular shapes scattered throughout the land area.

The map is a detailed layout of the Sanjeetni Sola campus in Bangalore. It shows the school building, various sports grounds, and surrounding roads. Key landmarks include the Sanjeetni Sola School, Sanjeetni Sola Sports Ground, and Sanjeetni Sola Bus Stop. The map also shows the location of the school relative to the city center and other educational institutions.

क्रमांक	बू उपयोग	क्षेत्रफल (वर्ग गज)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	प्रतिशत (%)
1	आवासीय	17728.89	14823.31	48.04%
2	खुपरा प्रयसायिक	619.43	617.92	0.16%
3	पाव	1811.46	1614.60	0.90%
4	सुविधा क्षेत्र	3854.56	3055.66	09.91%
5	सड़क	13087.01	10942.31	35.47%
कुल क्षेत्र (1+2+3+4+5)		36901.15	30853.80	100.00%
TOTAL SCHEME AREA		36901.15	30853.80	(12 Bigha 4 Biswa)



301-302, PRISM TOWER, NEAR J.D.A FLAT,
LALKOTHI SCHEME, JAIPUR (RAJ.)
PH.: 0141-4113111, Mob.: 09602360000
Website: www.cadmax.com e-mail: info@cadmax.co.in